

मु. नं. 203/018



अन्तिम डिक्री मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 203/2018

हजारीराम पुत्र मनफूलराम जाति मेघवाल निवासी काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—वादी

बनाम

- 1- ओमप्रकाश पुत्र महेन्द्र जाति मेघवाल निवासी काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 2- खुमाराम पुत्र महेन्द्र, जाति मेघवाल निवासी काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 3- कमला पत्नी रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 4- काशीराम पुत्र रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 5- बबती उम्र 16 वर्ष पुत्री रामप्रताप नाबालिग जरिए कुदरती वली माता कमला पत्नी रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 6- सूर्यकांत उम्र 12 वर्ष पुत्र रामप्रताप नाबालिग जरिए कुदरती वली माता कमला पत्नी रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 7- कृष्णलाल पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 8- शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गोलूवाला (पुराना एसबीबीजे)।
- 9- शाखा प्रबंधक मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा गोलूवाला (आरएमजीबी)।
- 10- राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

वादी की ओर से श्री करणी सिंह राठौड़ अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से श्री दारा सिंह हुन्दल व राज पैरोकार आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 886 दिनांक 19.12.25 के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर वादी की कृषि भूमि का निम्न अनुसार खाता विभाजन किया जाता है रकम राज अलग कायम की जावे शेष खाता यथावत रहेगा:-

चक 25 जेआरके के प.न. 19/247 मु.न. 9 किला न. 14/.253, 15/1/.228, 15/2/.025 है. की कुल 0.506 है. जिसमें 0.481 है. नहरी व 0.025 है. गै.मु. खाला कृषि भूमि।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

स. 205/0/0



खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 19/05/26 को
हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

3
(प्रभा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा